APP-A
Crime-1

Form-III
फर्द अहकाम

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

श्री गौतम पिता भेमा जाति यादव निवासी नई आबादी झालो का गडा तहसील गढी जिला बांसवाडा

बनाम

श्री कालु पिता बदीया मसार जाति भील वगैरह निवासी नई आबादी झालो का गडा तहसील गढी जिला बांसवाडा

किस्म मुकदमा:– अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

प्रकरण संख्याः 53/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ईनिषियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
06.7.2023	पत्रावली बाद जांच दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रार्थी श्री गौतम पिता भेमा जाति यादव निवासी नई आबादी झालो का गडा तहसील गढी जिला बांसवाडा द्वारा अप्रार्थीगण श्री कालु पिता बदीया मसार जाति भील वगैरह निवासी नई आबादी झालो का गडा तहसील गढी जिला बांसवाडा के विरूद्व प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 02.8.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गढ़ी	
02.8.23	~~पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण वास्ते जवाब दिनांक 27.9.23 को पेश हो।~~	
27.9.23	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहेबा अन्य राजकार्य मे व्यस्त। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 03.1.24 को पेश हो।	
3.1.24	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहेबा अन्य राजकार्य मे व्यस्त पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 3.4.24 को पेश हो।	
3.4.24	पत्रावली पेश हुई, वादी-प्रतिवादी वकील दोनों उपस्थित। वादी वकील द्वारा वादी के खातेदारी हितों की रक्षा हेतु T.I grant करने का निवेदन किया। इधर वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना गया तथा प्रा.पत्र में वर्णित तथ्यों व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने व वादी वकील के तर्कों को सुनने के पश्चात न्यायालय को वादी के हक में T.I grant करना न्यायोचित प्रतीत होता है। यदि वादी के हक में T.I grant नहीं	

Scanned with OKEN Scanner

दी जाती है तो वादी को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है, वादी के हक का सुविधा का संतुलन दिखाई देता है, चूंकि प्रतिवादी द्वारा वादी की खातेदारी भूमि जिसमें उसका 1/4 हि० निहित है, सर्वे न० 67 में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जा रहा है, प्रतिवादीगण 1 ता० 7 द्वारा सर्वे न० 67 0.31 हेक्ट भूमि में बिना किसी वैध हक अधिकार के अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर अतिक्रमण कर खेत की भूमि में कृषि करने की नियत से प्रवेश किया जा रहा है वादी द्वारा प्रतिवादीगण को रोका गया तो अनावश्यक झगड़ा किया गया। वादी द्वारा समझाइश करने पर भी नहीं मान रहे हैं। अतः प्रथम दृष्टया न्यायालय को वादी के हक में T. I grant करना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रतिवादीगण 1 ता० 7 को पाबंद किया जाता है कि वे जवाब प्रस्तुत करने तक वादी की खातेदारी भूमि के सर्वे न० 67 0.31 में अनाधिकृत रूप से प्रवेश न करे या अपने किसी एजेन्ट के माध्यम से करे, वादी से लड़ाई झगड़ा न करे; कृषि कार्य न करें। संबंधित पुलिस थाना भी प्रतिवादीगणों को पाबंद करें। तहसीलदार गढ़ी भी मौके पर जाकर प्रतिवादीगणों को पाबंद करें।

पत्रावली 22.5.24 को पेश हो।

22.5.24 पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी संख्या 01 से 07 का जवाब पेश हुआ नकल अप्रार्थी अभिभाषक को दिलाई गई। पी० साहेबा अन्य राजकार्य में व्यस्त पत्रावली वास्ते अंतिम कार्यवाही दिनांक 28.5.24 को पेश हो।

28/5/24 पत्रावली पेश हुई। स्वयं वादी वकील एवं वादीगण उपस्थित। पूर्व में दिनांक 3.4.24 को T.I जारी की गई, जो 22.5.24 तक प्रभावी रही।

उक्त T.I के बावजूद प्रतिवादीगण, वादीगण की खातेदारी भूमि पर नाजायज कब्जा कर ट्रैक्टर से खेत को जोतने का प्रयास कर रहे हैं, इनके प्रमाण में अर्जे इजलास में वादीगणों के द्वारा विडियो भी दिखाया गया जिससे यह पाया गया कि प्रतिवादीगण निरन्तर वादीगण की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रतिवादीगणों के इस कृत्य से वादीगणों को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है। अतः वादीगणों के हितों को ध्यान में रखते हुए वं न्याय की भावना से पूर्व में जारी T.I को आ.ती. पेशी 27.6.24 तक बढ़ाया जाता है। यदि इस अवधि में प्रतिवादीगण कुछ ऐसा कृत्य करते हैं जिससे वादीगणों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो तहसीलदार गढ़ी व सम्बंधित पुलिस थाना भी जिम्मेदारी होगी कि वे प्रतिवादीगणों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करें तथा T.I को प्रभावी बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाना अपेक्षित है। उक्त T.I खुले इजलास में सुनाई गई। T.I आदेश को टंकित कर सम्बंधित तहसीलदार व SHO थाना गढ़ी को प्रेषित करें।

(हस्ताक्षर)
सहायक

26-6-24 पत्रावली पेश हुई। वकुलान उपस्थित। अप्रार्थी अभिभावक द्वारा प्रार्थना-पत्र में लिखित बहस प्रस्तुत की गई नकल प्रार्थी अभिभावक को दिलाई गई। श्रीमान P.O. साहब अन्य राज कार्य में व्यस्त पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27-6-24 को पेश हो।

27.6.24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रार्थी के द्वारा धारा 88, 188, 209 R.T. Act के तहत वाद प्रस्तुत किया ~~गया~~ जाकर वाद की हमराह धारा-212 RT Act. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दौराने कार्यवाही दिनांक-3.4.24 को वाद में उल्लिखित धारा-88 को विलोपित किये जाने हेतु वादी अभिभावक द्वारा निवेदन करते हुए

धारा-212 में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का आग्रह किया गया। तत्पश्चात धारा-212 के प्रार्थना पत्र में प्रार्थी अभिभाषक के आग्रह पर अस्थायी निषेधाज्ञा आ. ता. पेशी 22.5.24 तक के लिए जारी की गई। दिनांक-22.5.24 को पीठासीन अधिकारी के अन्य राजकार्य में व्यस्त होने पर अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक-28.5.24 तक जारी रही। तत्पश्चात प्रार्थी अभिभाषक के आग्रह पर उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक-26.6.24 तक बढ़ाई गई।

प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से उक्त जारी अस्थायी निषेधाज्ञा के क्रम में लिखित बहस व न्यायिक दृष्टांत (1977 RRD-667) राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड - जगदीश बनाम केसर बाई प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार मणिलाल पिता मेमा चमार का लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थी गौतम द्वारा जिस भूमि के लिए प्रा. पत्र प्रस्तुत किया गया है वह वादग्रस्त सर्वे नं० $\frac{67}{0.31}$ हे. भूमि पर मेरा एवं हमारे परिवार का कभी भी कब्जा नहीं रहा है जबकि अप्रार्थीगण हमारे पिता के समय से उक्त सर्वे नं० की भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी उनका कब्जा है और मुझे उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करनी है।

प्रकरण में उपस्थित प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों के अभिभाषकों की बहस सुनी जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रा. पत्र एवं राजस्व अभिलेखों का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आया कि पटवार हल्का कजवाना

है राजस्व ग्राम भालों का गांव की खाता संख्या —
47 (नई) 44 (पुरानी) के कुल किता 13 रकबा 2.59 है.
भूमि के कुल चार खातेदार दर्ज रिकार्ड है।
प्रार्थी गौतम एकमात्र द्वारा धारा - 188, 209
में वाद प्रस्तुत किया जाकर वाद के दौरान धारा 212
RT Act का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थायी
निषेधाज्ञा ली गई।

इस प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधि.
1955 की धारा 188 का अवलोकन किया गया,
साथ ही धारा - 211 का भी साथ में अवलोकन किया
गया, जिसके अनुसार यदि किसी आराजी या खसरा
नम्बरान पर एक से अधिक सहखातेदार हों और
उनके बीच मध्य उक्त खसरा नम्बरान का बंटवारा
नहीं हुआ है तो कोई एक खातेदार धारा
188 के साथ धारा 212 का प्रार्थना पत्र
प्रस्तुत कर अस्थायी निषेधाज्ञा का आग्रह
नहीं कर सकता, उसे सभी सहखातेदारान
को वाद में प्रार्थीगणों के रूप में संयोजित
करना होता है अर्थात धारा - 211 के तहत
जब तक सभी खातेदार मिलकर वाद पत्र
पेश नहीं करते है तब तक धारा 188 व
212 RT Act. का प्रा. पत्र चलने योग्य
नहीं होता है। अतः वादी गौतम ने अकेले
ने T. I प्रा. पत्र प्रस्तुत किया है, तथा धारा
211 की कानूनी बाध्यता होने के कारण
वादी के द्वारा प्रस्तुत धारा 212 के अंतर्गत
प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से
निरस्ती योग्य है।

इसके साथ ही धारा 188 के अंतर्गत
आदेश लेने के लिए वादी को यह दर्शित करना
होगा कि वह वाद फाइल करने की तारीख
को वादग्रस्त भूमि पर उसका वास्तविक एवं
भौतिक कब्जा (अधिपत्य) है। केवल इस
बात की जाँच भी जानी होती है कि वादी

— PTO —

अभिधारी का कब्जा है और यदि उसके कब्जे को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धमकाया या अतिक्रमण किया जा रहा है तो ~~[illegible]~~ ऐसे कब्जे को न्यायालय द्वारा संरक्षण किया जा सकता है। अतः कब्जे के अभाव में प्रतिपक्षी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा देना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर पटवार हल्का वजवाना के मौजा छालों का गढ़ा की खाता संख्या 57 (नई) 54 (पुरानी) के सर्वे नं० $\frac{67}{0.31}$ है. भूमि में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न की जाती है।

27/1/24

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा